

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2020—पौष 4, शक 1942

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

प्ररूप-चार (ब)

कार्यालय, संभाग आयुक्त, इंदौर, मध्यप्रदेश

अन्तिम प्रकाशन

इन्दौर, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आकाश त्रिपाठी, आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं

के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्ताग-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खरगोन	1 खरगोन	1.घेगांव 2.साईखेड़ा 3.डेहरी, 4.लोनारा 5.डोंगरगांव 6.बगवां, 7.दसंगा 8.लिक्खी 9.मोटापुरा,10.नन्दगांवबगुद 11.पंधान्या 12.रजूर 13.ईच्छापुर 14.पिपरी 15. सुरपाला 16.घोट्या 17.नन्दगांवरोड 18.ऊनबुजुर्ग 19.डालका 20.ऊनखुर्द, 21.रायपुरा 22.रायबिड़ 23.गावसन 24.सिनखेड़ा	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अ.पि.वर्ग महिला अनारक्षित	03 13 04 06 02 07 02 03
2	खरगोन	2 खरगोन	1.नारायणपुरा 2.ईदारतपुर 3.निमगुल 4.बरुड़ 5.बैजापुरा 6.रोमचिचली, 7.डोंगरचिचली 8.बड़या 9.मेनगांव 10.पिपराटा, 11.टेमला 12.आसनगांव 13.अकावल्या, 14.उबदी 15.अघावन 16.रणगांव, 17.बैडियाव 18.सोनीपुरा, 19.बलवाड़ी 20.मांगरूलबुजुर्ग 21.जामली 23.भसनेर		
3	खरगोन	3 गोंगावा	1. शाहपुरा 2.गोगावा 3.महम्मदपुर 4. दयालपुरा 5. बीडबुजुर्ग 6. खेडी खुर्द 7. कुण्डिया 8.मांगरूल खुर्द 9. घुघरियाखेडी 10. देवलगांव 11. बेहरामपुर 12. गोपालपुरा 13. टेमरना 14. टीबगांवबुजुर्ग 15. जामन्या 16. बैजापुर 17. सुरपाला 18. बिलखेडबुजुर्ग 19. लाखी 20. बिलाली 21. हिरापुर		

अनु क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	खरगोन	4 गोंगावा	1. रेटवां 2. लिमवाडी 3. पिपलई 4. सिगनुर, 5. दसनावल 6. नागझिरी 7. मगरिया, 8. मेहरजा 9. गोवाडी 10. गोपालपुरा(दानापुर), 11. कोटा खुर्द 12. कोटाबुजुर्ग 13. देवली, 14. रूपखेडा 15. बलगांव 16. मेहरघट्टी, 17. सोलना 18. बड़गांव 19. राजपुरा, 20. उमरखली 21. पेनपुर 22. कुम्हारखेडा, 23. कुकडोल 24. पिपरखेडा		
5	खरगोन	5 भगवानपुरा	1 आमल्यापानी, 2 जलालाबाद, 3 लिपनीतालाब, 4 देवनल्या, 5 बड़ी, 6 मोहना, 7 मदनीखुर्द, 8 बहादरपुरा, 9 भातुड़, 10 राजपुरा, 11 सेजला, 12 बागदरा, 13 ढाबला, 14 मोमदिया, 15 गढ़ी, 16 अंजनगांव, 17 दाउतखेडी, 18 मोंगरगांव, 19 गुलझिरा, 20 रसगांगली, 21 माण्डवखेडा		
6	खरगोन	6 भगवानपुरा	1 दामखेडा, 2 जामन्यापानी, 3 बाड़ीखुर्द, 4 बागदरी, 5 भग्यापुर, 6 करही, 7 बाणगंगा, 8 देजला, 9 देवाडा 10 भगवानपुरा, 11 थरडपुरा, 12 अम्बाखेडा, 13 सुखपुरी, 14 चरीपुरा, 15 धुलकोट, 16 चौखण्ड, 17 नया बिलवा, 18 गुजरबावडी, 19 गुजरबावडी फारेस्ट 20 काबरी, 21 भुलवान्या		
7	खरगोन	7 भगवानपुरा	1 रूपगढ़, 2 खापरजामली, 3 रायसागर, 4 गोपालपुरा, 5 बड़्या, 6 कदवाली, 7 पिपरीपाला, 8 हिरापुर, 9 बलखड़खुर्द, 10 सरवरदेवला 11 बोरखेडा, 12 गारी 13 गलतार, 14 ताराबावडी, 15 झगडी, 16 मोहनपुरा, 17 देवझिरी, 18 लाहोरपानी, 19 पिपलझोपा, 20 धरमपुरी, 21 पलासकूट, 22 सिरवेल, 23 उमरिया, 24 सातपाटी, 25 नांदिया, 26 गोंटिया, 27 कुम्हारबैड़ी, 28 मालखेडा, 29 अम्बा, 30 कुम्भी		

अनु क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	खरगोन	8 सेगांव	1,खोलगांव, 2 बद्धा, 3 सेगांव, 4 रसगांव, 5 गाटलाखेड़ी, 6 दसनावल, 7 सतावड़, 8 कमोदवाड़ा, 9 गंधावड़, 10 दोमवाड़ा, 11 भिखारखेड़ी, 12 बिरला, 13 तलकपुरा, 14 जलगोन, 15 जमोठी, 16 खामखेड़ा, 17 पनाली, 18 गोलवाड़ी, 19 जोजलवाड़ी, 20 शरदपुरा, 21 रेहगून, 22 लेहकू, 23 जोगवाड़ा, 24 उपड़ी, 25 पनवाड़ा, 26 महूगांव, 27 केशवपुरा, 28 आछलवाड़ी, 29 केली, 30 श्रीखंडी, 31 तिरी, 32 चिचगढ़, 33 बनिहार, 34 देवली, 35 सांगवी, 36 भडवाली, 37 छिपीपुरा, 38 सिनखेड़ी, 39 डालकी, 40 सिलोटिया, 41 सीतापुरी		
9	खरगोन	9 बडवाह	1. बडकीचौकी 2. रमतान 3. रूगाला 4. बागोद 5. टेमला, 6. मैथावा 7. सुरपाला 8. बांडीखार 9. बावी 10. बलवाडा, 11. मुखत्यारा 12. हनुमंत्या 13. कुरावद 14. झिगडी 15. बरझर 16. ओखला 17. चैनपुरा 18. लिम्बी बुर्जूग 19. पालसुद 20. खगकीबारूल 21. रावत पलास्या 22. कोदबर बुर्जूग, 23. टिटवा पलास्या 24. रमाणां 25. पिपलझरबुजुर्ग 26 उमरिया 27. पडालीखुर्द 28. लालपुरा टांडा 29. सेल्दा बलवाडा 30. बिलाली 31. मोगरगांव 32. धनपाडा 33. काककटी, 34. जूजाखेडी 35. बेरफडबुर्जूग 36. माचलपुरखुर्द, 37. अस्तरिया 38. जेठवाय 39. बामनपुरी 40. पिडायबुर्जूग, 41. नाया		
10	खरगोन	10 बडवाह	1. कुडिया 2. धरवर, 3. आक्या, 4. काटकुट, 5. राजणां, 6. सालीखेडा, 7. सोरठीबारूल, 8. साफ्ट, 9. बडेल, 10. मेहन्दीखेडा, 11. सुलगांव, 12. लोन्दी बी, 13. लखनपुरा, 14. जगतपुरा, 15. बागफल, 16. कदवाल्या, 17. नादिया, 18. रूपाबेडी, 19. बफलगांव, 20. अगरवाडा, 21. बेलम, 22. गंगवाडा, 23. किठुद, 24. सुलतानपुरा, 25. सेमरला, 26. मुराल्ला, 27. रतनपुर, 28. कटघडा 29. बडवाहकस्बा 30. सिरलाय 31. नावघाटखेडी 32. बावडीखेडा		
11	खरगोन	11 बडवाह	1. आलीखुर्द 2. आलीबुर्जूग 3. टोकस, 4. पीतनगर 5. राहडकोट 6. फनगांव 7. खमलाय 8. मोगावा 9. डूडगांव 10. बेडिया 11. घितावद 12. तमोलिया 13. गलगांव 14. बडूद 15. गवल 16. सताजना 17. टोकलाय 18. साला 19. हीरापुर 20. बागदाबुर्जूग 21. बाल्या 22. पिपरीखेडा 23. बिजलवाडा, 24. रूपखेडा		

अनु क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	खरगोन	12 बडवाह	1. भोगावा सिपानी 2.भोगावा निपानी 3. बडगांव 4. खेडी,5. सांगवी 6.बकावा 7.मर्दाना 8. नगावा 9. कानापुर,10.जिरभार 11.लौन्दी(एस), 12. डालची 13. जामन्या,14. कातौरा 15. आरसीमिर्जापुर 16. जूलवान्या,17. सेल्दा 18. नलवट 19. दाभढ 20. डाल्याखेडी 21. भुलगांव 22. नीलकंठ 23. अतरसुम्बा 24. अम्बा,25. बलखड		
13	खरगोन	13 बडवाह	1.ढकलगांव 2.नलवा 3. बिराली 4. दसोडा 5.छापरा,6. जिरावट 7. सगडियाव 8. मलगांव 9. भोमवाडा,10.कोटल्याखेडी 11. बांगरदा 12. ढसगांव 13. भानबरड,14. बोदगांव 15. बमनगांव 16. बासवा 17. खनगांव 18. खुडगांव 19. चित्रमोड 20. खंगवाडा 21. अजरूद,22. धुलवाडा		
14	खरगोन	14 महेश्वर	1.बाकानेर, 2.भवनतलाई, 3.कूसुम्भ्या, 4.बडाभेडल्या, 5.काकडदा, 6.मेलखेडी, 7.मक्षी, 8.सेल, 9.कांछीकुआं, 10.आशापुर, 11. कांकरिया, 12.करोली, 13.ईटावदी, 14.मातमुर, 15.बडवी, 16.जलकोटा, 17.खराडी, 18.जलकोटी, 19.महेतवाडा, 20.बडा, 21.मोहना, 22.समसपुरा, 23.बडवेल, 24.टैकवाँ, 25.उरवाय, 26.गुजरमोहना, 27.बबलाई, 28.चोली, 29.सिरस्या, 30.भकलाय, 31.बेकल्या, 32.बागवरा, 33.सोमाखेडी, 34. गुलावड, 35.मोहद,		
15	खरगोन	15 महेश्वर	1.झापडी, 2.चिंदडिया, 3.समराज, 4.ढापला, 5. केरियाखेडी 6.खारिया, 7.लाडवी, 8.ठनगांव, 9.जलूद, 10.छोटीखरगोन, 11.सुलगांव,12. गोगांवा,13.पथराडखुर्द,14.बहेगाँव 15.नान्द्रा, 16.धरगांव, 17.करौंदिया, 18.मोगांवा, 19.कवडिया, 20.मंदौरी, 21.भूदरी, 22.करोदियाखुर्द 23.पेमपुरा, 24.बलसगांव, 25. रामदड 26.नीमसर,		
16	खरगोन	16 महेश्वर	1.घट्याबैडी, 2.कवाणा, 3.वणी, 4.नागझिरी, 5.होदडिया, 6.जामन्या, 7.चिनगुन, 8.बिलबावडी, 9.देवपिपल्या 10.माल्याखेडी, 11.बण्डेरा, 12.कतरगांव, 13.कुम्भ्या, 14.मोहम्मदपुरा, 15.कोगांवा, 16.कोदलाखेडी, 17.पिपल्याबुजुर्ग, 18.पिपल्याखुर्द, 19.सेजगांव, 20.पिटामली, 21.सिटोका, 22.भामपुरा 23.पालसुद, 24.माचलपुर, 25.बेरफड, 26.बरलाय, 27.बंजारी, 28.बडदियासुर्ता, 29.बठौली, 30.गंगातखेडी		

अनु क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	खरगोन	17 कसरावद	1.भोइन्दा, 2.कठोरा 3.चिचली 4.खलबुजुर्ग 5.खलखुर्द 6.पानवा 7.पथौरा 8.बालसमुद 9.डोगरगाँव 10.सायता 11.बड़गाँव 12.बलखड़ 13.महाराजखेड़ी 14.निमरानी 15. मगरखेड़ी 16.पिपलझोपा 17.सत्राटी 18.जरौली 19.मकुन्दपुरा 20.खड़कवानी 21.अहिर धामनोद, 22. बलगाँव		
18	खरगोन	18 कसरावद	1.काटकूर 2.एकलधारिया 3.साटकूर 4.नायदड़ 5.रेगवां 6.रूपखेड़ा 7.सलीमपुरा 8.पागाखेड़ी 9.गवला 10.बामन्दी 11.जलखॉ 12.तितरान्या 13.डोलानी 14.भैसावद 15.दखनीपुरा 16.मलतार, 17.हतौला, 18.बेगन्दी 19.डाबरी 20.साईखेड़ा, 21.रसवां 22.दगड़खेड़ी 23.सिनगुन, 24.टेमरनी 25.कुसुमपुरा 26.रामपुरा 27.भोपालपुरा 28.बलकवाड़ा 29.बामन्दा 30.बारदेवला		
19	खरगोन	19 कसरावद	1.माकड़खेड़ा 2.मोगावां 3.छोटीकसरावद 4.भीलगाँव 5.बेसरकुण्ड 6.खेड़ी 7.सैलानी 8.जावदा 9.अघावण 10.बिठेर 11.बाजिटपुरा 12.औझरा 13.सावदा 14.गोपालपुरा 15.करौंदिया 16.सरवरदेवला, 17.अहिल्यापुरा 18.बोरावां, 19.उटावद, 20.उमरिया 21.चंदनपुरी 22.लोहारी, 23.बरसलाय, 24.अवरकच्छ, 25.बामखल 26.कोंडापुरा 27.सिपटान, 28.सोनखेड़ी		
20	खरगोन	20 कसरावद	1.दोगावां 2.रणगाँव 3.लेपा 4.टिगरीयाँव 5.अमलाथा 6.भटयाणबुजुर्ग 7.भग्यापुर 8.पीपलगोन 9.खमलाय 10.बाड़ी 11.सामेड़ा 12.भटयाणखुर्द 13.झिरन्या 14.सांगवी 15.खामखेड़ा 16.दुर्गापुर 17.भनगाँव 18.डेडगाँव 19.मुलठान 20.हीरापुर 21.कमोदवाड़ा 22.भोपाड़ा 23.खेड़ी बुजुर्ग 24.खराडीखुर्द 25.सुर्वा 26.किरगाँव		
21	खरगोन	21 भीकनगाँव	1.ककड़गाँव, 2.सतवाड़ी, 3.बिलखेड़ खुर्द, 4.बिटनेरा, 5.मछलगाँव, 6.चौण्डीअन्दड़, 7.बडियासहेजला, 8.अंदड़, 9.जामन्या खुर्द, 10.अहिरखेड़ा, 11.कालबरड़, 12.उमरिया, 13.निमोनी, 14.बिजासनी, 15.रोड़िया, 16.बलखड़िया, 17.सिरलाय, 18.सगूर, 19.पिपरी, 20.रेहगाँव, 21.भगवानपुरा, 22.पिपलई खुर्द 23.देवला, 24.पाडल्यागवली, 25.पोई, 26.ललनी, 27.सुर्वा, 28.भोपाड़ा, 29.खुड़गाँव, 30.शकरगाँव,		

अनु क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	खरगोन	22 भीकनगांव	1.पाडल्याबाबाजी, 2.अंजनगांव, 3.औरंगपुरा, 4.मुहाली, 5.चौण्डी, 6.कांझर, 7.बोरुठ, 8.पोखरबुजुर्ग, 9.ऊँटखेड़ा, 10.पत्थरवाड़ा, 11.अमनखेड़ी, 12.सांगवी, 13.पोखर खुर्द, 14.आखापुरा, 15.छिर्वा, 16.एकतासा, 17.मछलगांव, 18.मालखेड़ा 19.नुरियाखेड़ी, 20.रामपुरा, 21.दौंडवा, 22.खेरदा, 23.कालधा, 24.बोरगांव, 25.पछाया, 26.सिराली, 27.नरगांव		
23	खरगोन	23 भीकनगांव	1.पोखराबाद, 2.सतवाड़ा, 3.वल्का, 4.बंमनाला, 5.सेल्दा, 6.सुर्वाकोयड़ा, 7.रोयदड़, 8.साईंखेड़ी, 9.कोदलाजागीर, 10.केंदवा, 11.पलासी, 12.चिकलवास, 13.काल्याखेड़ी, 14.जामन्या, 15.लालखेड़ा, 16.पिपराड़, 17.टेमला, 18.गोराड़िया, 19.ईगरिया, 20.जामन्याबुजुर्ग, 21.बंझर, 22.चिरागपुरा, 23.भातलपुरा, 24.बिरूल, 25.सुन्देल, 26.बडिया(गोविन्दपुरा), 27.सुल्तानपुरा, 28.पिपल्याबुजुर्ग, 29.भीकनगांवरेवेन्नु		
24	खरगोन	24 शिरन्या	1 कोठड़ा, 2 लखापुर, 3 घोड़ी खुर्द, 4 घोड़ी बुजुर्ग, 5 पखाल्या, 6 करान्या, 7 तिनस्या, 8 मोरदड़, 9 कांकरिया, 10 जामली, 11 लोहारिया, 12 मोरवा, 13 कमोदवाड़ा 14 देवित बुजुर्ग, 15 नेमित, 16 खारवा, 17 अरदला, 18 पिपरी, 19 नानकोड़ी, 20 बायखेड़ा, 21 बलखड़, 22 सांयखेड़ा, 23 रेहटियावाड़ी 24 गोरखपुर, 25 ढसलगांव, 26 नरवट, 27 मुडिया, 28 सपाटिया, 29 चिरिया, 30 दामखेड़ा, 31 शिरन्या		
25	खरगोन	25 शिरन्या	1 चैनपुर, 2 डेहरिया, 3 पुतला, 4 कटशिरा, 5 रतनपुर, 6 मानीकेरा, 7 कुसुम्बिया, 8 रातलीपुरा, 9 निहाली, 10 बड़ी, 11 पिछोड़िया 12 बेढान्या बुजुर्ग, 13 उदयपुर, 14 खोई, 15 शिवना, 16 पुनासला, 17 ठोकनबेड़ा, 18 बेड़छा, 19 पिपरखेड़नाका, 20 नीमसेठी, 21 तेड़, 22 भड़लेन, 23 मिटावल, 24 गवला, 25 भावसिंगपुरा, 26 साका, 27 मुरम्या, 28 आभापुरी, 29 छेंडिया, 30 अम्बाडोचर, 31 टिगरिया, 32 सोनखेड़ी, 33 रेहटफल, 34 रूफाटा, 35 मारुगढ़		

अनु क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
26	खरगोन	26 झिरन्या	1 राजपुरा, 2 मांडवी, 3 बोंदरान्या, 4 नहालदरी, 5 कोटा बुजूर्ग, 6 मलगांव, 7 पिडीजामली, 8 गुवाड़ा, 9 धुपा बुजूर्ग, 10 मांझल, 11 कोटबेड़ा, 12 रूदा, 13 बुदा, 14 गाड़ग्याआम, 15 मेहत्याखेड़ी 16 हरणकुंडिया, 17 सेमलकुट, 18 काकोड़ा, 19 मेंडागढ़, 20 बोरवाल, 21 पलोना, 22 खड़क्यानदी, 23 कुड़ी, 24 पाड़ल्या, 25 तितरान्या, 26 मांडवाभट्टी, 27 बिलखेड़, 28 चौपाली, 29 धुपी खुर्द,		

आकाश त्रिपाठी, आयुक्त.

प्ररूप-तीन (ब)

कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात् -

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खरगोन	1	1.घेगांव 2.साईखेड़ा 3.डेहरी	अजा	3
		2	1.लोनारा	अजजा	11
		3	1.डोंगरगांव 2.बगवां 3.दसंगा	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	1.लिक्खी 2.मोठापुरा	अनारक्षित	5
		5	1.नन्दगांवबगुद 2.पंधान्या 3.रजूर	महिला अजा	2
		6	1.ईच्छापुर 2.पिपरी 3.सुरपाला	महिला अजजा	6
		7	1.उबदी 2.अकावल्या 3.अधावन	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
		8	1.घोट्या 2.नन्दगांवरोड	महिला अनारक्षित	2
		9	1.ऊनबुजुर्ग		
		10	1.रायपुरा 2.रायबिड़		
		11	1.गावसन 2.सिनखेड़ा		
		12	1.बरूड़		
		13	1.बैजापुरा 2.रोमचिघली		
		14	1.डोंगरचिघली 2.बड़्या		
		15	1.डालका 2.ऊनखुर्द		
		16	1.मेनगांव 2.पिपराटा		
		17	1.निमगुल 2.नारायणपुरा 3.ईदारतपुर		
		18	1.टेमला 2.आसनगांव		
		19	1, रणगांव, 2.बैडियाव		
		20	1, सोनीपुरा, 2 बलवाडी, 3, मांगरूलबुजुर्ग		
		21	1, जामली 2, भसनेर		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-तीन (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात् :-

सारणी

अनु क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोगावां	01	1. शाहपुरा	अजा	02
		02	1. गोगावां	अजजा	10
		03	1. महम्मदपुर 2. दयालपुरा	अन्य पि.वर्ग	02
		04	1. बीड बुजुर्ग 2. खेडी खुर्द 3. कुण्डिया 4. मांगरूल खुर्द	अनारक्षित	05
		05	1. घुघरियाखेडी 2. देवलगांव	महिला अजा	1
		06	1. बेहरामपुर 2. गोपालपुरा 3. टेमरना	महिला अजजा	5
		07	1. रेटवौं 2. लिमवाडी 3. पिपलई 4. सिगनुर	महिला अं.पि.व.	1
		08	1. दसनावल	महिला अना.	3
		09	1. नागझिरी		
		10	1. ठीबगांव बुजुर्ग 2. जामन्या		
		11	1. मगरिया 2. मेहरजा 3. गोवाडी 4. गोपालपुरा(दानापुर)		
		12	1. कोठा खुर्द 2. कोठा बुजुर्ग 3. देवली		
		13	1. बैजापुर 2. सुरपाला 3. दिलखेड बुजुर्ग		
		14	1. लाखी 2. बिलाली 3. हिरापुर		
		15	1. रूपखेडा 2. बलगांव 3. मेहरघट्टी 4. सोलना		
		16	1. बड़गांव 2. राजपुरा		
		17	1. उमरखली		
		18	1. पेनपुर 2. कुम्हारखेडा		
		19	1. कुकडोल 2. पिपरखेडा		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-तीन (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात्-

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बडवाह	1	1. बडकीचौकी 2. रमठान 3. रूपाला 4. बागोद 5. टेमला 6. मैथावा 7. सुरपाला 8. बावी	अजा	4
		2	1. बांडीखार 2. बलवाडा 3. मुखत्यारा 4. हनुमंत्या 5. कुरावद 6. मोगरगांव 7. बिलाली	अजजा अ.पिवर्ग	5 6
		3	1. झिगडी 2. लालपुराटांडा 3. सेल्दा बलवाडा 4. बरझर 5. रमाण 6. उमरिया 7. पडालीखुर्द	अनारक्षित महिला अजा	10 2
		4	1. आक्या 2. ओखला 3. चैनपुरा 4. कुडिया 5. थरवर 6. पालसुद 7. काटकुट	महिला अजजा महिला अ.पिवर्ग	3 3
		5	1. लिम्बी बुर्जुग 2. सोरटी बारूल 3. सापट 4. राजणां 5. सालीखेडा 6. बडेल 7. मेहन्दीखेडा 8. खमकी बारूल 9. रावत पलास्या	महिला अनारक्षित	5
		6	1. सुलगांव 2. जगतपुरा 3. कोदबर बुर्जुग 4. टिटवापलास्या 5. लोन्दी बी 6. लखनपुरा 7. बागफल 8. कदवालिया		
		7	1. जूजाखेडी 2. बेरफड बुर्जुग 3. माचलपुरखुर्द 4. काककटी 5. बेलमबुजुर्ग 6. गंगवाडा 7. अस्तरीया		
		8	1. धनपाडा 2. जेठवाय 3. बामनपुरी 4. पिडायबुर्जुग 5. पिपलझरबुजुर्ग 6. नाया		
		9	1. सेमरला 2. मुराल्ला 3. रतनपुर 4. सुलतानपुरा 5. कटघडा 6. बावडीखेडा 7. नावघाटखेडी		
		10	1. रूपाबेडी 2. नांदिया 3. किठुद 4. बफलगांव 5. अगरवाडा 6. सिरलाय 7. बडवाहकस्बा		
		11	1. आलीखुर्द 2. आलीबुर्जुग 3. टोकसर 4. पीतनगर 5. राहडकोट 6. मोगावा		
		12	1. फनगांव 2. गलगांव 3. गवल 4. सताजना 5. खमलाय 6. टोकलाय		
		13	1. भोगावा सिपानी 2. बडगांव 3. खेडी 4. सांगवी 5. डाल्याखेडी		

14	1. बकावा 2. मर्दाना 3. नगावा 4. लौन्दी (एस)
15	1. कानापुर 2. जिरभार 3. डालची 4. जामन्या 5. कातोरा 6. आरसीमिर्जापुर
16	1. नलवट 2. अतरसुम्बा 3. बागदा बुर्जुग 4. अम्बा 5. बलखड
17	1. चितावद 2. तमोलिया 3. हीरापुर 4. बाल्या 5. पिपरीखेडा 6. बिंजलवाडा
18	1. डूडगांव 2. बेडिया
19	1. साला 2. ढकलगांव 3. नलवा 4. बिराली
20	1. बडूद 2. रूपखेडा
21	1. भोमवाडा 2. कोटल्याखेडी 3. धुलवाडा 4. बांगरदा
22	1. मलगांव 2. खुडगांव 3. चित्रमोड 4. खंगवाडा 5. अजरुद
23	1. बोदगांव 2. बमनगांव 3. बासवा, 4. खनगांव
24	1. दसोडा 2. छापरा 3. जिरावट 4. सगडियाव 5. ढसगांव 6. भानबरड
25	1. भोगावा निपानी, 2. जूलवान्या 3. सेल्दा 4. दाभढ 5. भुलगांव 6. नीलकंठ

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-तीन (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात् -

सारणी

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेगांव	1	सेगांव	अ.जा.,	01
		2	खोलगांव, बढा, रसगांव, गाटलाखेडी	अ.ज.जा.,	09
		3	गंधावड, दसनावल, सतावड, कनोदवाडा	अन्य पिछडा वर्ग,	00
		4	पनवाडा, जमोठी, महुगाव	अनारक्षित	02
		5	पनाली, जलगोन, खामखेडा, जोजलवाडी	महिला अ.जा.,	00
		6	तलकपूरा, बिरला, दोमवाडा, भिखारखेडी	महिला अ.ज.जा.,	05
		7	गोलवाडी, रेहगुन, आछलवाडी, सीतापुरी	महिला अन्य पिछडा वर्ग,	00
		8	विचगढ, बनिहार, तिरी	महिला अनारक्षित	01
		9	केली, लेहकू, जोगवाडा, शरदपूरा		
		10	सांगवी, देवली, उपडी		
		11	डालकी, सिनखेडी, भडवाली, छिपीपूरा		
		12	श्रीखंडी, केशवपूरा, सिलोटिया		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड - खरगोन

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	रणगाँव	1 रणगाँव	1 कुसुमबाई से 30 रडत्या तक	अजा	5
		2	31 आशा से 55 जितेन्द्र तक	अजजा	10
		3	57 अमर से 72 महेन्द्र तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	74 दशरथ से 90 कडवा तक	अनारक्षित	5
		5	91 धन्नालाल से 103 दिनेश तक	महिला अजा	3
		6	104 रामलाल से 123 राजेश तक	महिला अजजा	5
		7	124 शिवराम से 140 रामेश्वर तक	महिला अ.पि.व.	0
		8	141 गोविन्द से 156 वेणीराम	महिला अनारक्षित	3
		9	157 रमेश से 172 वासुदेव तक		
		10	175 उर्मिला से 189 श्रीराम तक		
		11	190 चंपालाल से 205 कैलाश तक		
		12	206 धन्नालाल से अंत तक		
		13 बिरोठी	1 गजराज से 23 मोहब्बत तक		
		14	14 दौलत से 42 मोहब्बत राजाराम तक		
		15	43 शारदा से 64 हरिराम तक		
		16	65 भारत से 85 छगन तक		
		17	86 बाबु से 109 खुश्याली तक		
		18	111 कालु से 129 भँवर तक		
		19	131 चोवन से 171 सुंदरबाई तक		
		20 बोरगाँव	1 गीता से 24 मोतीराम अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्गीत वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंगजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किसे जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्गसंबन्धितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड -- खरगोन

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मक्रम नं. से मक्रम नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
I	वैडियाव	1 वैडियाव	1 अनुपसिंह से 22 कैलाश	अज्ञा	2
		2	23 परसराम से 38 अर्जुन	अज्ञा	6
		3	39 ओंकार से 59 गैरालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
		4	0 तेजसिंह से 98 राजपाल	अनारक्षित	3
		5 दारापुर	1 दिनेश से 16 गंभीर	महिला अज्ञा	1
		6	16 कमल से 32 कड़ेवा	महिला अज्ञा	3
		7	34 अंतरसिंह से 50 अमरसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
		8	51 साधना से 69 डेगनिया	महिला अनारक्षित	2
		9 फाजिलपुरा	1 शंकर से 22 कमल		
		10	19 सुबीवाई से 70 खान		
		11 भाडली	1 आशाशम से 19 करणसिंह		
		12	20 नरल से 30क मोहन अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड - खरगोन

सारणी					
अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	सोनीपुरा	1 सोनीपुरा	1 काशीराम से 11 रामचंद्र तक	अजा	3
		2	15 राजाराम से 27/3 बाबु तक	अजजा	7
		3	10 दिपक से 47 दिलीप तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	49 अनवर से 76 रविना तक	अनारक्षित	3
		5	76 कुसुमबाई से 95/1 शरीफ तक	महिला अजा	2
		6	97 कालु से 114ग अशोक तक	महिला अजजा	4
		7	115 रामेश्वर से 142 बलिराम तक	महिला अ.पि.व.	0
		8	143 जगदीश से 178 घनश्याम तक	महिला अनारक्षित	2
		9	181 मंशाराम 204 मोमीन तक		
		10	75 योगेश से 230 जयपाल तक		
		11	154 नत्थु से अंत तक		
		12 नवाबपुरा	1 दयाराम से 15/1 कय्यूम तक		
		13	16 राधेयाम से 234 प्रकाश अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड - खरगोन

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बलवाड़ी	1 बलवाड़ी	4 हरि से 17 शांता	अजा	5
		2	20 जगदीश से 36 संतोष	अजजा	10
		3	37 नारायण 49 लिम्बाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	51 शिवकरण 68 कैलाश	अनारक्षित	5
		5	70 कैलाश 86 पंढरी	महिला अजा	3
		6	87 तुलसीराम 105क मोत्या	महिला अजजा	5
		7	105ख श्यामा 124 मोहन	महिला अ.पि.व.	0
		8	126 सतोष 144 नर्मदा	महिला अनारक्षित	3
		9	145 विजय 169 नंदा		
		10 (प्रेमनगर)	172 पंढरी 192 मानसिंग		
		बलवाड़ी			
		11	193 रमेश 211 सखाराम		
		12	212 कालुराम 235ख भूरु		
		13	14 मुकेश 308 कालु		
		14	105 हिरालाल से मनोज राधेश्याम तक		
		15	262 चंद्रीका प्रसाद 281ख महेश यादव		
		16	282 किशन 300 विजय		
		17	301 मंगत 314 गणेश नय्यर तक		
		18	315 घिसी 336क पन्नालाल		
		19	337 कालु 359 धनई छित्या		
20	283ख विनोद से गुलाबसिंग गोल्या अंत तक				

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के प्रकाशित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु

खण्ड - खरगोन

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	जामली	1 जामली	1 दामा से 413क धिरंजीव तक	अजा	2
		2	4 गौरी से 421 रविन्द्र तक	अजजा	10
		3	58 तुकाराम से 416 रमेश बाबु तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	73 लक्ष्मण से 96 अशोक तक	अनारक्षित	5
		5	11क प्रदीप से 117 गणेश तक	महिला अजा	1
		6	117क अशोक से 342 संजय तक	महिला अजजा	5
		7	10 रणछोड से 317 गुलाबसिंग तक	महिला अ.पि.व.	2
		8	163 शंकर से 176 भारत तक	महिला अनारक्षित	3
		9	176क जोगीलाल से 190 कडवा तक		
		10	191 रामकिशन से 212 धरम तक		
		11	213 सुरेश से 232 घनश्याम तक		
		12	233 रामचंद्र से 252 शंकर तक		
		13	253 कैलाश से 279 चैनसिंग रामा तक		
		14	281 मनोहर से 296क कमल तक		
		15	297 ओमप्रकाश से 320 प्रवीण तक		
		16	321 पंढरी से 347 विकास तक		
		17	259ख भीमसिंग से 366 किशोर		
		18	368 राधेश्याम से 433 दिनेश तक		
		19	392 भुवानीराम से 419क भगवान तक		
		20	68 झिंगा बाई से 499 सायमल अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड - खरगोन

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिनखेडा	1 सिनखेडा	01 गंगाराम से 22 संगीता	अजा	3
		2	23 किशन से 38 दीपक	अजजा	10
		3	15 राधाबाई से 57 नन्नी	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	58 दीपक से 115 अंगुरबाई	अनारक्षित	5
		5	81 लाडकी से 89घ प्रमिलाबाई	महिला अजा	2
		6	90 बलीराम से 103क वसीम	महिला अजजा	5
		7	104 सायरा अनवर से 124क ललीता अशोक	महिला अ.पि.व.	1
		8	125 टंट्या शोभाराम से 152/1 मुजाहिद खॉन	महिला अनारक्षित	3
		9	148 मंगुबाई से 165/1 दुर्गाबाई		
		10	58क शिवराम से 283 राहुल हिरालाल		
		11	195 भगवान से 229 मंगलसिंग		
		12	230 कुसुमबाई से 245 आसिफ		
		13	246 हमीदा से 269 नाजिया		
		14	271 सीता से 400 मनीष		
		15	299 बाऊ से 328क दिग्पाल		
		16	331 श्यामा से 386क पूजा		
		17	357 संतरा से 373 आरती		
		18	115क रमेश से 390 आरना		
		19	391 सत्तार से 783 सुरेश		
		20 मुफलिसपुरा, जमशेदपुरा, आदमपुरा, मनावर, चौण्डी, सिकन्दरपुरा	1 प्रमुजी से 13 अफसरी सलीम अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड - खरगोन

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	मांगरूल बुर्जुग	1 मांगरूल बुर्जुग	1 ब्रजेश से 12 जितेन्द्र तक	अजा	3
		2	13 सदाशिव से 33 अनिल तक	अजजा	8
		3	34 फत्तु से 44 कालुराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
		4	45 नत्थु से 76 घमेन्द्र तक	अनारक्षित	4
		5	61 संतोष से 241 दिपक तक	महिला अजा	2
		6	35 श्यामलाल से 167 अमर गंगाराम तक	महिला अजजा	4
		7	14 संतोष बंशीलाल से 166 मुकेश गेंदालाल तक	महिला अ.पि.व.	1
		8	10 जाकीर से 112 पंकेश नवल तक	महिला अनारक्षित	2
		9	113 बिंदाबाई से 132 महेश तक		
		10	133 सोभिया से 201 दिपक तक		
		11	148 मथुरालाल से 180 रजत खांडे तक		
		12	11 उत्तम से 179 दिपक तोताराम तक		
		13	37 पंढरी दशरथ से 192 दिपक तक		
		14	19 दौलत से 204 आशाराम तक		
		15	25 परसराम से 225क सुपडिया तक		
		16	1 कडवा से अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड - खरगोन

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	भसनेर	1 भसनेर	2क रमेश से 295 बाल्या तक	अजा	3
		2	23 मांगीलाल से 207 मानसिंग तक	अजजा	10
		3	42 दया से 64 कालु मांगीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	85 भारतसिंग से 215 सुरेश तक	अनारक्षित	5
		5	86 चिंतामणी से 222 रामेश्वर तक	महिला अजा	2
		6	46 शिवकन्या से 228 धन्नालाल तक	महिला अजजा	5
		7	120 बिहारी से 137 जितेन्द्र तक	महिला अ.पि.व.	1
		8	1 जसूबाई से 156 बद्री तक	महिला अनारक्षित	3
		9	157 सुखराम से 168 यशवंत तक		
		10	16 भारतसिंग से 177 जयपाल तक		
		11	30 दौलतसिंग से 651 विरेन्द्र कैलाश तक		
		12	191 श्याणीबाई से 204 प्रदीप तक		
		13	145 रामेश्वर से 223 भवानी शंकर तक		
		14	2ख लुलिया से 255 रामलाल भगवान अंत तक		
		15 धनौरा	2 भीमा से 107 जयपाल तक		
		16	30 मोहब्बतसिंग से 42 उदयसिंग तक		
		17	44 नवलसिंग से 82 उमेश धनसिंग तक		
		18	63 नवलसिंग से 74 उमेश दशरथ तक		
		19	76 लोंगाबाई से 130 कमलसिंग तक		
		20	23ख चम्पालाल से अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

खण्ड - गोगावां

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मांगरूल खुर्द	1 मांगरूल खुर्द	म.न.01 अनारसिंह दरियावसिंह से मं.न.08 सजनबाई दरियावसिंह तक	अजा	2
		2	म.न.09 भगवान गम्भीरसिंह से मं.न.20 आनंदबाई कालूराम तक	अजजा	6
		3	म.न.21 राकेश मनोहरसिंह से मं.न.43 कमलाबाई आशाराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म.न.44 सावित्रीबाई से मं.न.215 जितेन्द्र हिरालाल तक	अनारक्षित	3
		5	म.न. 58 राजकुवर बाई से मं.न. 73 दगडीया फकिरा तक	महिला अजा	1
		6	म.न. 0 महेश कालूराम से मं.न. ए लोकेन्द्र वर्मा तक	महिला अजजा	3
		7	म.न. 93 बागसिंग नैनसिंग से मं.न. 108 नबलसिंह कल्याण तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		8	म.न. 06 लक्ष्मण भोलू से मं.न. 264 गुलाबसिंह सबलसिंह तक	महिला अनारक्षित	2
		9	म.न. 28 राजेश कडवा से मं.न. 284 धनसिंह सिताराम तक		
		10	म.न. 284 दौलत सिताराम से मं.न. 297 ग्यारसि गबरू तक		
		11	म.न. 179 गोपाल मांगीलाल से मं.न. 307 लिला हुकुमचंद तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानो की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितो की जानका हेतु प्रकाशित करते है, अर्थात:-

खण्ड - गोगावां

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोपालपुरा (दानापुर)	1 गोपालपुरा	म.न.01 बबलू ध्याना से मं.न.13 बेबी रमजान तक	अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अनारक्षित	2 6 1 3 1 3 0 2
		2	म.न. 14 अल्लार रहीम से मं.न.26 महेन्द्र उमराव तक		
		3	म.न. 27 गफुर खां से मं.न. 36 शमीम रहीम तक		
		4	म.न. 37 इकबाल अब्दुल से मं.न. 60 रोशनी डुडवे तक		
		5	म.न. 53 मोहन नरसिंह से मं.न. 153 लक्ष्मी कांतिलाल तक		
		6	म.न. 79 रमजान एहमद से मं.न. 100 राजेन्द्रसिंह कुलवंतसिंह तक		
		7	म.न. 101 रामा टिकम से मं.न. 113 परसराम देविसिंह तक		
		8.	म.न. 114 गोपाल बालाजी से मं.न. 1115 क राधीका सेप्टा तक		
		9	म.न. 120 मोहन दीपा से मं.न.133 क भूरीबाई सिताराम तक		
		10	म.न. 134 आदलि रूपसिंह से मं.न. 145 सावित्री गोविंद तक		
		11	म.न. 15 भारत, मांगीलाल से मं.न. 1515 नरेन्द्र पदम तक		
		12 गोपालपुरा +दानापुर	म.न. 01 सुदामा शंकरराव मं.न. 73 रूकैया अफजल तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानो की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितो की जानका हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

खण्ड - गोगावां

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डो के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं.	आरक्षित वार्डो की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजपुरा	1 राजपुरा	म.न. रारिका चेतन से मं.न. 126 अंशु मोतीराम तक	अजा	6
		2	म.न. 16/ख गडबड से मं.न. 32/क अरुण ओमप्रकाश तक	अजजा	9
		3	म.न. 39 कैलाश शंकर से मं.न. 299 राहुल महेश तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म.न. 82 युसुफ सुपु से मं.न. 95/क संतोष शिवराम तक	अनारक्षित	2
		5	म.न. 10 कमल रामलाल से मं.न. 478 आशाबाई कमल तक	महिला अजा	3
		6	म.न. 127 मयाराम बालू से मं.न. 154 हिराबाई एकनाथ तक	महिला अजजा	5
		7	म.न. 47 अंकित कृशवाह से मं.न. 190 दरियाव पुन्या तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		8	म.न. 10 उमाशंकर भगवान से मं.न. 631 विशाल द्वारका तक	महिला अनारक्षित	1
		9	म.न. 20 दिपक रमेश से मं.न. 773 प्रभु अनंदराम तक		
		10	म.न. 10 कमलेश कालुराम से मं.न. 867 मनोज मोहन तक		
		11	म.न. 266 बोदर जामसिंग से मं.न. 930 कुन्दन गोविंद तक		
		12	म.न. 10/3 दिपक शोभाराम से मं.न. 289/8 प्रकाश कल्लन तक		
		13 छटलगांव	म.न. 01 अनोखीलाल छगन से मं.न. 22 बीनाबाई दशरथ तक		
		14	म.न. 23 जयकिशन गोकुल से मं.न. 41 लक्ष्मीबाई बौदर तक		
		15	म.न. 43 मांगीलाल बाउ से मं.न. 55 शांता बाई मांगीलाल तक		
		16	म.न. 57 तुलसीराम मांगीलाल से मं.न. 74 शांताबाई बाबूलाल तक		
		17 डाबरीयां	म.न. 1 दामोदर कन्हैयालाल से मं.न. ए सुरेश बाबूलाल तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

सूचना

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

खण्ड - गोगावां

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बीड बुजुर्ग	1बीड बुजुर्ग	म.न.2 करण यादव से मं.न. 115 सपना जितेन्द्र तक	अजा	3
		2	म.न. 24 बद्रीलाल बालाराम से मं.न. 35 कडवा बाल्या तक	अजजा	9
		3	म.न. 36 नाना पुनमचंद से मं.न. 51 प्रेमचंद रामा तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म.न. 54 फत्तुलाल भगवान से मं.न. 74 कालुराम तुलसीराम तक	अनारक्षित	4
		5	म.न. 76 नारायण बाबू से मं.न. 94 गेंदालाल पुन्या तक	महिला अजा	2
		6	म.न. 95 रघु रघुनाथ से मं.न. 111 सुपडीलाल मोतीराम तक	महिला अजजा	5
		7	म.न. 112 जशोदा नानाराम से मं.न. 120 तेजराम शोभाराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
		8	म.न. 121 मीठाराम शोभाराम से मं.न. 132 दल्लु सुखलाल तक	महिला अनारक्षित	2
		9	म.न. 133 कडवा घीस्या से मं.न. 145 छीतु नरसिंह तक		
		10	म.न. 146 शिवराम नरसिंह से मं.न. 158 देवकी जगन तक		
		11	म.न. 159 नारायण गन्या से मं.न. 181 गणपत मांगीलाल तक		
		12	म.न. 182 घीसीलाल खुबचंद से मं.न.202 दिपक संतोष तक		
		13 बिजलगांव	म.न. 1 महेश छोटेलाल से मं.न. 19 भगवान छोटया तक		
		14	म.न.20 प्रभु छोटया से मं.न.34 गोकुल दगडु तक		
		15	म.न.35 बलिराम मांगीलाल से मं.न.53 जुवेदा मुंशी तक		
		16	म.न. 53/1 देवराम नल्लु से मं.न. 71 संतोष छगनलाल तक		
		17	म.न. 14 प्रीति यादव से मं.न. 85 धन्नालाल कालूराम तक		
		18	म.न. 86 देवराम झापडिया से मं.न. 100 मीठाराम गणपत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ- दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

खण्ड - गोगावां

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पिपरखेडा	1 पिपरखेडा	म.न.01 रूमीबाई मुकेश से मं.न.15 भूरी बाई लक्ष्मण तक	अजा	0
		2	म.न.16 बुटासिंह जामसिंह से मं.न.28 जगदीश रामसिंह तक	अजजा	16
		3	म.न. 29 होमा रूपसिंह से मं.न.33 भूरी बाई फना तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म.न. 34 मीठाराम गंगाराम से मं.न. 45 चैनसिंह रिछु तक	अनारक्षित	1
		5	म.न. 48 प्रेमसिंह खुमसिंह से मं.न. 58 गौरीबाई नानका तक	महिला अजा	0
		6	म.न.59 केकडी बाई रिछु से मं.न.75 धन्नालाल तक	महिला अजजा	8
		7	म.न.76 कन्हैया बनसिंह से मं.न. 89 ईदीया हगरीयास तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		8	म.न. 91 कनसिंह रामदास से मं.न.107/ख माधवसिंह वेस्ता तक	महिला अनारक्षित	1
		9	म.न. 107/ग गोविन्दा प्रकाश से मं.न. 117 रामसिंह बैरसिंह तक		
		10	म.न. 118 रमेश बैरसिंह मं.न. 140 सुरलीबाई सोमला तक		
		11	म.न. 141 झाली बाई गणपत से मं.न.29/च रोशनी बल्लू तक		
		12 शाबासपुरा	म.न.01 बालु कौलु से म.न.8क मुखी बाई रितेष तक		
		13	म.न.9 संगीता बघेल से म.न.23 दलसिंह अनसिंह तक		
		14	म.न.23 क गुलाबसिंह कुवरसिंह से म.न.29 बिसन अनसिंह तक		
		15	म.न.31 हरसिंह वेस्ता से 32 माधव नहारसिंह तक		
		16	म.न.33 मुन्ना वेस्ता से म.न.ए वेस्ता मोहन तक		
		17 उदयपुरा	म.न.01 पंचानन्द दशरथ से म.न.107 भागीरथ शिवजी तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

खण्ड- बडवाह

- : सारणी : -					
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र. एवं ग्राम	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बडवाहकस्बा	बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-1	हरिश छोटेला 0 से 51 भागीरथ मांगीलाल	अजा	3
		बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-2	बोखार बोंदर 52 से 123 केलाश शोभाराम	अजजा	3
		बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-3	अमरसिंह बाबूलाल 123 से 176 केलाश बाबूलाल	अ.पिवर्ग	5
		बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-4	मोहन मांगीलाल 179 से 240 विनोद शंकर	अनारक्षित	9
		बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-5	मदन शंकर 240/1 से 294 क सुनिल यशवंत.	महिला अजा	1
		बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-6	मोहनराव याशवंतराव 294/1 से 356 दीपक बाबूलाल	महिला अजजा	2
		बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-7	सुनिल परसराम 357 से 8 प्रकाश रामगुलाब	महिला अ.पिवर्ग	3
		बडवाहकस्बा (दशहरा मैदान)-8	गंभीर गजानंद 9 से अंत तक	महिला अनारक्षित	4
		पिलिमिट्टी-9	रामकिशन 1 से 35 राजेश नरसिंह		
		पिलिमिट्टी-10	दिलीप दशरथ 36 से अंत तक		
		अन्नपूर्णा,(राघोराम पटवारी)-11	दयाराम श्रवण 1 से अंत तक		
		हा0 बोर्ड-12	शिवनारायण बिसनलाल 1 से 54 राजेन्द्र परसराम		
		हा0 बोर्ड सिंचाई-13	भगवानसिंह रणजीत 55 सी से अंत तक		
		गर्मा, रेवा कालोनी-14	अशोक कन्हेयालाल 1 से अंत तक		
		सुराना, गोपाल पार्क-15	हेदर शंकर 1 से अंत तक		
		बजरंगघाट-16	छोगालाल नारायण 1 से 25 ताराचंद श्यामलाल		
		बजरंगघाट-17	सुनिल शंकर 26 से 63/1 मेहमूद लियाकत		
		बजरंगघाट-18	तसलीम बेग सलीम 65 से अंत तक		
		टावरबेडी-19	काशीम हुसेन 2 से 97 जितेन्द्र कमलसिंह		
		टावरबेडी/करियामल-20	कमल देवचंद 106 से अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

खण्ड- बडवाह

-- : सारणी : : --					
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र. एवं ग्राम	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिरलाय	सिरलाय-1	भुरीबाइ बाबुलाल 1 से 32 योगिता पप्पु	अजा	6
		सिरलाय-2	रामकरण घिसाजी 33 से 68/1 हिरालाल दशरथ	अजजा	4
		सिरलाय-3	मगन घिसाजी 69 से 103/क लल्लु मंगुनाथ	अ.पिवर्ग	5
		सिरलाय-4	श्रवण शिवनाथ 104 से 132 ओमप्रकाश रामसुचित	अनारक्षित	5
		सिरलाय-5	शंकरलाल गंगाराम 133 से 170/क बोखार पेमा	महिला अजा	3
		सिरलाय-6	हरचंद बोखार 169/ख से 207 राजाराम प्यारेलाल	महिला अजजा	2
		सिरलाय-7	माधव बेहराजी 208 से 246 कैशरबाई मंशराम	महिला अ.पिवर्ग	2
		सिरलाय-8	रमेश पेमा 247 से 287/क सकुबाई हरी	महिला अनारक्षित	3
		सिरलाय-9	भुरेलाल हरी 287 से 314 क सजनसिंग मंगलसिंग		
		सिरलाय-10	चुन्नीलाल बाल्या 315 से 347 क दशरथ सिताराम		
		सिरलाय-11	सतिष दशरथ 347 से 379 रन्याबाई मोतीलाल		
		सिरलाय-12	दिलीप छितु 380 से 390 तेजा बल्लु		
		सिरलाय-13	रतन मिश्रीलाल 391 से 400 पप्पु रमेश		
		सिरलाय-14	गुलाबसिंह कुंजी 401 से 416/क कैशरबाई बाबुलाल		
		सिरलाय-15	रामसिंग सखाराम 417 से 442/क शकीखों हबीबखों		
		सिरलाय-16	मुसाखान शकुखा 442 से 509/ख हीराजी धन्नालाल		
		सिरलाय-17	रामु सुरजी 519 से 674/1 संजय रमेश		
		सिरलाय-18	ज्ञानसिंग भाना 674 से 726/ख भुवानीराम कल्याण		
		सिरलाय-19	कैलाश छगन 727 से 773/ख अन्नु गुलाबसिंग		
		सिरलाय-20	हेमराज गोविन्द 774 से 911 जगन रामाजी		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

खण्ड- बडवाह

-: : सारणी : : -					
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र. एवं ग्राम	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बावडीखेडा	बावडीखेडा-1	सीताराम. रामा 1 से 14 गेंदी राजाराम	अजा	6
		बावडीखेडा-2	सुमन निहाला 15 से 33 बिना कडवा	अजजा	1
		बावडीखेडा-3	रमेशचंद राजाराम 34 से 50 निला मोहन	अ.पिवर्ग	4
		बावडीखेडा-4	नगूबाई चिंताराम 53 से 65 तोताराम श्रवण	अनारक्षित	5
		बावडीखेडा-5	प्यारी छज्जू 66 से 75 क गुलाबसिंह नंदराम	महिला अजा	3
		हीरापुर-6	प्रमिला भलाजी 1 से 21 नानी मंशाराम	महिला अजजा	1
		हीरापुर-7	नत्थु तुलसीराम 22 से 40 चंपालाल ओंकार	महिला अ.पिवर्ग	2
		हीरापुर-8	गजराज पदम 41 से 54 हूकूमचंद नत्थु	महिला अनारक्षित	2
		हीरापुर-9	सुंदरबाई रामाजी 55 से 69 श्रीराम कालू		
		जैमलपुरा-10	जगदीश दरियाव 1 से 14 क हरेराम तुकाराम		
		जैमलपुरा-11	अनार दरियाव. 15 से 23 क बोखार मयाराम		
		जैमलपुरा-12	अंतिम हेमंत 24 से 40 अभीजीत अविनाश		
		जैमलपुरा-13	शेरू प्रेमलाल 41 से 28 विजय उमराव		
		जैमलपुरा-14	रमेश नत्थु 29 से 46 सखाराम भावलया		
		जैमलपुरा-15	उमराव अब्बास 47 से 74 ललीता सखाराम		
		जैमलपुरा-16	तुलसीराम पुनिया 75 से 95 राकेश गेंदालाल		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

खण्ड- बडवाह

- : सारणी : -					
अं. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र. एवं ग्राम	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नावघाटखेडी	नावघाटखेडी-1	जानकीदेवी श्रीराम 1 से 12 ख ममता देवनारायण	अजा	2
		नावघाटखेडी-2	श्रीराम स्वरूपानंद 13 से 24 कविता जगदीश	अजजा	1
		नावघाटखेडी-3	चंपाबाई छोगालाल 25 से 35 ख जितेन्द्र ताराचंद	अ.पिवर्ग	3
		नावघाटखेडी-4	महेशगिरी मिश्रीगिरी 36 से 53 योगिता प्रितेश	अनारक्षित	8
		नावघाटखेडी-5	महेन्द्र अमनालाल 54 से 68 रितू आशीष	महिला अजा	1
		नावघाटखेडी-6	जनकलली सुरेश 69 से 81 ग सावित्री लखन	महिला अजजा	1
		नावघाटखेडी-7	कन्हैया मंगत्या 83 से 95 घ राकेश शेरू	महिला अ.पिवर्ग	1
		नावघाटखेडी-8	कडवा ओंकार 96 से 107 भारती दुलीचंद	महिला अनारक्षित	4
		नावघाटखेडी-9	गोरी मंगलसिंह 108 से 119 गंगाराम रामलाल		
		नावघाटखेडी-10	मंगती राजाराम 120 से 129 च इमलेश मोतीराम		
		नावघाटखेडी-11	भोलू पदम 130 से 142 च महंत हरिदासजी		
		नावघाटखेडी-12	गोविंद नत्थु 143 से 177 अन्नामाइशो कालाक्या		
		नावघाटखेडी-13	जमनालाल मांगीलाल 178 से 303 अंकित चंद्रप्रकाश		
		नावघाटखेडी-14	कमलसिंह तुलसीराम 304 से अंत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत.निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

खण्ड- बड़वाह

-- : सारणी : --					
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र. एवं ग्राम	सीमा गांव के मकान नं०.....से....तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रूपाबेडी	रूपाबेडी-1	रामा नत्थु 1 से 14 घनश्याम लक्षण	अजा	2
		रूपाबेडी-2	हिरालाल गंगाराम 15 से 25 रेवाराम छगन	अजजा	1
		रूपाबेडी-3	रामलाल शिवराम 26 से 33 नसरु बावरिया	अ.पिवर्ग	4
		रूपाबेडी-4	मेहकाल भाउ 34 से 44 आनंदराम गणपत	अनारक्षित	8
		रूपाबेडी-5	गुलाबसिंह राजाराम 45 से 59 उमराव सुखलाल	महिला अजा	1
		रूपाबेडी-6	राजाराम सिकंदार 60 से 69 छोदू गंगाराम	महिला अजजा	1
		रूपाबेडी-7	कडवा छगन 70 से 80 संतोष मंगत्या	महिला अ.पिवर्ग	2
		रूपाबेडी-8	मनोहर सुखलाल 81 से 91 द्वारकी देवराम	महिला अनारक्षित	4
		रूपाबेडी-9	कला श्यामलाल 92 से 105 मंशाराम सुखराम		
		रूपाबेडी-10	बजरंग बावरिया 106 से 129 रामा बाउ		
		रूपाबेडी-11	नथी बाबू 130 से अंत तक नारायण मानसिंह		
		टोकी-12	गोदावरी गबरू 1 से 11 कनक गुलाबसिंह		
		टोकी-13	घनश्याम मागीलाल 12 से 22 मंगू बालाजी		
		टोकी-14	हिरालाल गेंदालाल 23 से 33 भवानीराम शिवजी		
		टोकी-15	रामसिंह रतन 34 से अंत तक मगन गुलाबसिंह		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्-

खण्ड- बडवाह

-: : सारणी : : -					
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र. एवं ग्राम	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कदवाल्या	1-कदवाल्या	2-शंकर मांगीलाल से 19-मिनी संतोष तक	अजा	8
		2-कदवाल्या	20-गोदावरी रामा से 30-पप्पू गेंदालाल तक	अजजा	1
		3-कदवाल्या	31-कडवा फत्तू से 59-गुलाबसिंह लालू तक	अ.पि.वर्ग	5
		4-कदवाल्या	61-भारत नंदू से 85-कालू गोपाल तक	अनारक्षित	5
		5-कदवाल्या	86-गोपाल मदन से 107/3-किशन शंकर तक	महिला अजा	4
		6-कदवाल्या	108-राजाराम बाबू से 117 चिताराम गुमान तक	महिला अजजा	1
		7-कदवाल्या	117/1-आत्माराम से 286-धनसिगं नत्थु तक	महिला अ.पि.वर्ग	3
		8-खोडी	1-सूर्यकिशोर से 16/1-देवेन्द्र महेन्द्र तक	महिला अनारक्षित	3
		9-खोडी	17-सुरेन्द्र रामबहादूर से 32-सुमन कमल तक		
		10-खोडी	35-सुक्या धिरया से 41-पारू तक		
		11-खोडी	42-हरजी बनाजी से 51क बाबूलाल कोचले तक		
		12-खोडी	52-गुलाबसिंह बोंदर से 58/1-सतीश राजेन्द्र तक		
		13-खोडी	61/1-नहारसिग से 66/6 अजय केशाश तक		
		14-खोडी	66/7-महेश जगन से 133-प्रदयूमन तिवारी तक		
		15-खोडी	82-शेरू गबरू से 88- विजय चौहान तक		
		16-खोडी	89-कमलाबाई रूपाजी से 98-रविन्द्र तक		
		17-खोडी	99-प्रेमबाई से 108/3 सुनिता चंपालाल तक		
		18-खोडी	108/4 अशोक रामसिंह से 116/1 नत्थी रमेश तक		
		19-खोडी	118 हरेराम गुलाब से 138 पूजा रजावत तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जानेवाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड - झिरन्या		सारणी			
अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2		4	5	6
1	नहालदरी	1 नहालदरी	1 रानुबाई के घर से 49 राधाबाई के घर तक	अजा	0
2	नहालदरी	2 नहालदरी	1 देवराम के घर से 155क भारती के घर तक	अजजा	15
3	नहालदरी	3 नहालदरी	24 मोजा के घर से 103 अशोक के घर तक	अन्य पि.वर्ग	0
4	नहालदरी	4 नहालदरी	35 बलीराम के घर से 43 मंजुबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	नहालदरी	5 नहालदरी	44 बजराबाई के घर से 50 मुकेश के घर तक	महिला अजा	0
6	नहालदरी	6 नहालदरी	52 शोभाराम के घर से 140 मुकेश के घर तक	महिला अजजा	8
7	नहालदरी	7 नहालदरी	14 सावला के घर से 68 सुरमाबाई के घर तक	महिला अन्य पि.वर्ग	0
8	नहालदरी	8 नहालदरी	69 गुलसिंह के घर से 78 सन्तुबाई के घर तक	महिला अनारक्षित	0
9	नहालदरी	9 नहालदरी	78 ईन्डीबाई के घर से 157 आशाबाई के घर तक		
10	नहालदरी	10 नहालदरी	106 सुमलीबाई के घर से 135 हिरलीबाई के घर तक		
11	नहालदरी	11 नहालदरी	98 सायरीबाई के घर से 168 ज्ञानीबाई के घर तक		
12	नहालदरी	12 नहालदरी	110 बनसिया के घर से 129 पप्पु के घर तक		
13	नहालदरी	13 नहालदरी	123 गोटिया के घर से 131 नुरीबाई के घर तक		
14	नहालदरी	14 नहालदरी	132 भंगडीबाई के घर से 151 कलसिंह के घर तक		
15	नहालदरी	15 नहालदरी	140 ध्यानसिंह के घर से 155क सुकलीबाई के घर तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जानेवाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

खण्ड - झिरन्या

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खारवा	1 खारवा	1 श्रमण के घर से 11 सोहन के घर तक	अजा	0
2	खारवा	2 खारवा	0 प्रकाश के घर से 32 पुंजा के घर तक	अजजा	7
3	खारवा	3 खारवा	33 राजाराम के घर से 51 पिंदु के घर तक	अन्य पि.वर्ग	3
4	खारवा	4 खारवा	0 दिलावर के घर से 296 कविता के घर तक	अनारक्षित	3
5	खारवा	5 खारवा	0 रंजना के घर से 86 गुलाब के घर तक	महिला अजा	0
6	खारवा	6 खारवा	87 मांग्या के घर से अ राधाबाई के घर तक	महिला अजजा	4
7	खारवा	7 खारवा	13/1 मिथुन के घर से 146 तारा के घर तक	महिला अन्य पि.वर्ग	0
8	खारवा	8 खारवा	134 हंशराज के घर से अ हरि के घर तक	महिला अनारक्षित	2
9	खारवा	9 खारवा	145 जितेन्द्र के घर से 170 शालुबाई के घर तक		
10	खारवा	10 खारवा	0 रेखा के घर से 195 निशाबाई के घर तक		
11	खारवा	11 खारवा	74 हेदराम के घर से अ रसाली के घर तक		
12	खारवा	12 खारवा	0 सपना के घर से अ सरोज के घर तक		
13	खारवा	13 खारवा	7 भावसिंह के घर से - छतेबाई के घर तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्रारूप-दो (अ)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

सूचना

खरगोन, दिनांक 27 अगस्त 2019

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जानेवाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

ग्राम पंचायत क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाओं को दिनांक 03 सितम्बर 2019 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों /सुझाओं पर विचार कर तत्पश्चात् अंतिम निविश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

खण्ड - झिरन्या

सारणी

अनु- क्रमां- क	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक व ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रुन्दा	1 रुन्दा	1 सुनाबाई के घर से 20 जमादार के घर तक	अजा	1
2	रुन्दा	2 रुन्दा	21 शोभागसिंह के घर से 46 सुरेश के घर तक	अजजा	11
3	रुन्दा	3 रुन्दा	47 कालीबाई के घर से 47/घ रायकु के घर तक	अन्य पि.वर्ग	0
4	रुन्दा	4 रुन्दा	1 जूवानसिंह के घर से 68 सखाराम के घर तक	अनारक्षित	0
5	रुन्दा	5 रुन्दा	60 सिनारसिंह के घर से 84 सुनिल के घर तक	महिला अजा	0
6	रुन्दा	6 रुन्दा	67 रमेश के घर से 120 सुरंगली के घर तक	महिला अजजा	6
7	रुन्दा	7 रुन्दा	104 डैगरिया के घर से 122 सायदा के घर तक	महिला अन्य पि.वर्ग	0
8	रुन्दा	8 रुन्दा	73 शाहबाई के घर से 145 सेवती के घर तक	महिला अनारक्षित	0
9	रुन्दा	9 रुन्दा	136 टेमसिंह के घर से 144/ग मीना के घर तक		
10	रुन्दा	10 रुन्दा	141 चमार के घर से 157 रलीबाई के घर तक		
11	रुन्दा	11 रुन्दा	156 बारकीबाई के घर से 172 हीरा के घर तक		
12	रुन्दा	12 रुन्दा	134 चमाबाई के घर से 1069 मदनसिंह के घर तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

खरगोन, दिनांक सितम्बर 2019

अन्तिम प्रकाशन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

खण्ड - कसरावद

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
104	खराड़ीखुर्द	1 खराड़ीखुर्द	1-ममता रमेश से 7 क-मुकेश आशाराम तक	अ.जा.	0
		2	8-तुकाराम झेतारा से 16-सोनू लक्ष्मीराम तक	अ.ज.जा.	10
		3	17-गंगाराम कुवरसिंह से 25-भानू मेहताब तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	26-हिरा मंशाराम से 36-माया राकेश तक	अनारक्षित	0
		5	37-ग्यारसीया से 44 ए-भारती नानका तक	महिला अ.जा.	0
		6	44 क-धुमसिंह गुलसिंह से 51-रमतू अशोक तक	महिला अ.ज.जा.	5
		7	52-गुलाब रेवसिंह से 6 क-लाइकी मोहन तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		8	7-गुलाब भुरसिंह से 25-फुन्दीबाई सुखलाल तक	महिला अनारक्षित	0
		9	27-रुखड़िया भादु से 37-कला प्यारसिंह तक		
		10	39-ज्ञानसिंह वेस्ता से 57-कालीबाई आशाराम तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2019

अन्तिम प्रकाशन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

खण्ड - कसरावद

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
105	सुर्वा	1 सुर्वा	1-खुमसिंह नानसिंह से ए-मुरेसिंह रामसिंह तक	अ.जा.	2
		2	15-केला बाई बाधु से 111-ममताबाई सुनिल तक	अ.ज.जा.	12
		3	28क-कैकडिया विश्राम से 149-रानु रामा तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	43क-मुकेश सुखलाल से 55-हेमराज कैलाश तक	अनारक्षित	2
		5	56-देवीसिंह धनसिंह से 67-जिवन बाई बाल्या तक	महिला अ.जा.	1
		6	68-शेरु चुन्नीलाल से 97-रोशनी कमल तक	महिला अ.ज.जा.	6
		7	87-चंपाबाई मंगत्या से 98-सरदार मांगीलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		8	98/2-ग्यारसिंग छगन से 108-रंगली बाई रणजीत तक	महिला अनारक्षित	1
		9	111-नुरलीबाई बहादर से 124-बोंदरसिंह माध्या तक		
		10	128-राधेश्याम संइदया से 155क-मंजु सोहन तक		
		11 डोमवाडाबुजुर्ग	1-दौलत रुजला से 72-धुरकी हरसिंह तक		
		12	10-सीता नाकु से 79-धमेन्द्र गुलाबसिंह तक		
		13	22-नथी रामसिंह से 42-जमनाबाई राजेश तक		
		14	43-नारायण लक्ष्मण से 58-सुमद्रा रेवाराम तक		
		15	0-धमेन्द्र राधुराम से 71-बबली नरसिंह तक		
		16	0-कमला बाई धर्मेन्द्र से 213क-यशवंत कृष्णा तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-दो (ब)

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2019

अन्तिम प्रकाशन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात :-

खण्ड - कसरावद

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक एवं ग्राम का नाम	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
106	किरगाव	1 किरगाव	1-कलाबाई बुदिया से 135-कैलाश लोमीराम तक	अ.जा.	1
		2	22क-दुर्गाबाई सरदार से 141क- शांता चैतराम तक	अ.ज.जा.	6
		3	36-राजाराम नंदु से 147-गीता परसराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	39क-दीपिका लवकुश से 153-लक्ष्मीबाई धानसिंह तक	अनारक्षित	5
		5	64-सुरेश शंकर से 73-नथीबाई विकास तक	महिला अ.जा.	1
		6	73-बसंती चंदरसिंह से 189-अन्तु ज्ञानसिंग तक	महिला अ.ज.जा.	3
		7	74- धुमसिंह सरदारसिंह से 94-जितेन्द्र शिवराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		8	94-पवन शोभाराम से 109-कविता बबलु तक	महिला अनारक्षित	2
		9	110-किशन हीरा से 122-बबलु दरियाव तक		
		10	100-चंदुजयसिंह से 135-केशीबाई लोमीराम तक		
		11	98- धरमा दिलीप से 142क-मीराबाई गुड्डु तक		
		12	100-जितेन्द्र चंदु से 148-दशरीबाई तुलसीराम तक		
		13	149-प्रेमसिंह मंगत्या से 187-मांगीलाल लालसिंह तक		
		14	98-पप्पु चैतराम से 182- शारदा नरसिंह तक		
		15	102-लीम्बा मोहन से 204-सुखलाल शंकर तक		
		16	22-उमेश धरमसिंग से 398घ-रवि चंतराम तक		

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	रणगांव	रणगांव	रणगांव	1667	25
			बिरोठी	बिरोठी	762	25
			शिरपुर	शिरपुर	84	25
			बोरगांवखुर्द	बोरगांवखुर्द	104	25
			योग		2617	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	भसनेर	भसनेर	भसनेर	1671	12 नगरीय
			धनोरा	धनोरा	735	12 नगरीय
			योग		2406	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	जामली	जामली	जामली	2718	13 नगरीय
			खतवास	खतवास	107	13 नगरीय
			महुकुडिया	महुकुडिया	24	13 नगरीय
			जामला	जामला	10	13 नगरीय
			हीरापुर	हीरापुर	17	13 नगरीय
			मानपुरा (विरान)	मानपुरा (विरान)	00	13 नगरीय
			योग		2876	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	मांगरूलबुजुर्ग	मांगरूलबुजुर्ग	मांगरूलबुजुर्ग	1830	1 नगरीय
			योग		1830	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	बैडियाव	बैडियाव	बैडियाव	748	23
			फाजिलपुरा	फाजिलपुरा	310	23
			भाडली	भाडली	288	1 नगरीय
			दारापुर	दारापुर	337	23
			योग		1683	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	सोनीपुरा	सोनीपुरा	सोनीपुरा	1299	3 नगरीय
			नवाबपुरा	नवाबपुरा	245	3 नगरीय
			बिजलगांवबुजुर्ग (विरान)	बिजलगांवबुजुर्ग (विरान)	00	3 नगरीय
			योग		1544	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	बलवाड़ी	बलवाड़ी	बलवाड़ी	2530	4 नगरीय
			शाहपुरा	शाहपुरा	28	4 नगरीय
			बेलमार	बेलमार	18	4 नगरीय
			तुकलाबाद (विरान)	तुकलाबाद (विरान)	00	4 नगरीय
			योग		2576	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ कमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है । इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

:: सारणी ::

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	खरगोन	सिनखेड़ा	सिनखेड़ा	सिनखेड़ा	2367	33
			आदमपुरा	आदमपुरा	319	33
			सिकन्दरपुरा	सिकन्दपुरा	6	33
			जमशेदपुरा	जमशेदपुरा	62	33
			मनावर	मनावर	143	33
			चौडी	चौडी	7	33
			मुफलिसपुरा	मुफलिसपुरा	253	33
			योग		3157	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	गोगावां	मांगरूल खुर्द	मांगरूल खुर्द	मांगरूल खुर्द	1212	02 (नगरीय)
				योग	1212	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	गोगावां	गोपालपुरा (दानापुर)	गोपालपुरा	गोपालपुरा	1464	07 नगरीय
			दानापुर	दानापुर	117	07 नगरीय
				योग	1581	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	गोगावां	राजपुरा	राजपुरा	राजपुरा	1570	23
			छटलगांव बु.	छटलगांव बु.	487	23
			डाबरिया(विरान)	डाबरिया(विरान)	0	07 नगरीय
			फतेहपुर (विरान)	फतेहपुर (विरान)	0	23
			मंचर (विरान)	मंचर (विरान)	0	23
			छटलगांव खुर्द (विरान)	छटलगांव खुर्द (विरान)	0	23
				योग	2057	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	गोगावां	बीडबुजुर्ग	बीडबुजुर्ग	बीडबुजुर्ग	1295	12
			बिजलगांव	बिजलगांव	646	12
				योग	1941	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	गोगावां	पिपरखेडा	पिपरखेडा	पिपरखेडा	1112	24
			शाबासपुरा	शाबासपुरा	476	24
			उदयपुरा	उदयपुरा	101	24
			कन्नडपुरा (विरान)	कन्नडपुरा (विरान)	-	24
				योग	1689	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	बडवाह	बडवाहकस्बा	बडवाहकस्बा	बडवाहकस्बा	13514	48
				कारियामाल	207	48
			योग		13721	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	बडवाह	सिरलाय	सिरलाय	सिरलाय	5022	46
			भीलखेडा	भीलखेडा	21	46
			मोयदा(विरान)	मोयदा(विरान)	0	46
			करौदिया (विरान)	करौदिया (विरान)	0	46
			योग		5043	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	बडवाह	बावडीखेडा	बावडीखेडा	बावडीखेडा	735	52
				हिरापुर	518	52
				जयमलपुरा	1137	52
			योग		2390	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम. पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	बडवाह	नावघाटखेडी	नावघाटखेडी	नावघाटखेडी	1876	50
				डेहरीया	108	50
			योग		1984	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी. हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	बडवाह	रूपाबेडी	रूपाबेडी	रूपाबेडी	1363	49
				टोकी	403	49
				मिरधवन	41	49
				सूरतीपुरा	0	49
			योग		1807	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 6 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	बडवाह	कदवाल्या	कदवाल्या	कदवाल्या	724	44
			खोडी	खोडी	1192	44
			सबलपुरा(विरान)	सबलपुरा(विरान)	0	43
			योग		1916	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

प्ररूप-एक (ब)

अन्तिम प्रकाशन

खरगोन, दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला खरगोन के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ कमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जागकारी के लिये एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव के नाम का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
खरगोन	महेश्वर	कोदलाखेडी	कोदला	कोदला	503	60
			खेडी	खेडी	1035	60
			गगनतालाब	गगनतालाब	418	60
			बोरवावडिया	बोरवावडिया	653	60
			योग	योग	2609	

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 16-5/2019/22/पं.-2 भोपाल, दिनांक 22.06.2019 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरांत मैं डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर, जिला-सिवनी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 126 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला-सिवनी अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तंभ 5 में सम्मिलित ग्राम को नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 100 - एफ - 1 - 08 - 2020-अठारह-3 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों से विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा
1	2	3	4	5
1	सिवनी	छपारा	छपारा	छपारा
2	सिवनी	छपारा	छपाराकला	छपाराकला, छपाराखुर्द, देवरीकला
3	सिवनी	छपारा	तिन्सा	तिन्सा, गहरानाला रैयत, पिण्डरई, चंदेनी, घोघरीमाल, जामुनपानी
4	सिवनी	केवलारी	केवलारी	केवलारी
5	सिवनी	केवलारी	डोभ	डोभ, बम्हनीखेड़ा
6	सिवनी	केवलारी	बोथिया	बोथिया, सिरोली
7	सिवनी	केवलारी	बिनेकी	बिनेकी, मरकावाड़ा, मलारी
8	सिवनी	केवलारी	मलारा	मलारा, घुड़सार
9	सिवनी	केवलारी	डोकररांजी	डोकररांजी, पनवास, कड़वेथांवरी, कछारी
10	सिवनी	केवलारी	बगलई	बगलई, कोहका

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2253-पंचा. प्रको.-जि.प./2020

सिवनी, दिनांक 18 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 16-5/2019/22/पं.-2 भोपाल, दिनांक 22.06.2019 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरांत मैं डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर, जिला-सिवनी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 126 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला-सिवनी अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तंभ 5 में सम्मिलित ग्राम को नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 100 - एफ - 1 - 08 - 2020-अठारह-3 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों से विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा
1	2	3	4	5
1	सिवनी	छपारा	छपारा	छपारा
2	सिवनी	छपारा	छपाराकला	छपाराकला, छपाराखुर्द, देवरीकला
3	सिवनी	छपारा	तिन्सा	तिन्सा, गहरानाला रैयत, पिण्डरई, चंदेनी, घोघरीमाल, जामुनपानी
4	सिवनी	केवलारी	केवलारी	केवलारी
5	सिवनी	केवलारी	डोभ	डोभ, बम्हनीखेड़ा
6	सिवनी	केवलारी	बोथिया	बोथिया, सिरोली
7	सिवनी	केवलारी	बिनेकी	बिनेकी, मरकावाड़ा, मलारी
8	सिवनी	केवलारी	मलारा	मलारा, घुड़सार
9	सिवनी	केवलारी	डोकररांजी	डोकररांजी, पनवास, कड़वेथांवरी, कछारी
10	सिवनी	केवलारी	बगलई	बगलई, कोहका

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

क्रमांक जि.पंचायत-2020-6343

अशोकनगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

अंतिम सूचना

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 218/भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2018 में मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जिला अशोकनगर की ग्राम पंचायत पिपरई, बरखेडा पिपरई, सीगोन, खोरीबरी, केशोपुर, ग्राम दौलतखेडी, ग्राम बरोला, ग्राम जयंतीपुर, ग्राम देरासा (तहसील पिपरई) को शामिल कर नगर परिषद पिपरई बनाये जाने हेतु अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126 एवं सहपठित मध्यप्रदेश (ग्राम पंचायतों के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, समामेलन (Amangamation), तथा परिवर्तन) नियम 1994 के प्रावधान के अधीन राजस्व जिला अशोकनगर के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसको इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तम्भ 04 में वर्णित ग्राम पंचायतों में स्तम्भ 06 में वर्णित गांव सम्मिलित है को नगर परिषद घोषित हो जाने के कारण विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित करता हूँ :-

-: सारणी :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम
1	2	3	4	5	6
1.	अशोकनगर	पिपरई	ग्राम पंचायत पिपरई	ग्राम पंचायत पिपरई	(1) पिपरई (2) ततारपुर (3) मेनखेडा वीरान
2.	—"—	पिपरई	ग्राम पंचायत बरखेडा पिपरई	ग्राम पंचायत बरखेडा पिपरई	(1) बरखेडा पिपरई (2) शुक्लापुरी (3) पडउ वीरान
3.	—"—	चंदेरी	ग्राम पंचायत सीगोन	ग्राम पंचायत सीगोन	(1) सीगोन (मजरा बेलई एवं मक्तनखेडी सहित)
4.	—"—	पिपरई	ग्राम पंचायत खोरीबरी	ग्राम पंचायत खोरीबरी	(1) खोरीबरी (2) मूढरी (3) प्यासी (4) मोजदी
5.	—"—	पिपरई	ग्राम पंचायत केशोपुर	ग्राम पंचायत केशोपुर	(1) केशोपुर (मजरा थिगली सहित) (2) बमनुआ
6.	—"—	चंदेरी	ग्राम दौलतखेडी	ग्राम पंचायत मूडराकलां	(1) दौलतखेडी
7.	—"—	पिपरई	ग्राम बरोला	ग्राम पंचायत खोक्सी	(1) बरोला
8.	—"—	पिपरई	ग्राम जयंतीपुर	ग्राम पंचायत बांसखेडी	(1) जयंतीपुर
9.	—"—	चंदेरी	ग्राम देरासा	ग्राम पंचायत आकेत	(1) देरासा

अभय वर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला हरदा, मध्यप्रदेश

क्रमांक 5675-निर्वाचन-जिपं-2020-21

हरदा, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 16-5/2019/22/पं.-2 दिनांक 22.06.2019 में दिये गये निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 126 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरांत मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-11-95-वाइस-पं.-1 दिनांक 23.02.1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं संजय गुप्ता कलेक्टर हरदा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 125 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व नि हरदा जिला अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तंभ 5 के सम्मिलित ग्राम को म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 183 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2018 अधिसूचना क्रमांक 184 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2018 अधिसूचना क्रमांक 559 भोपाल दिनांक 04 अक्टूबर 2018 एवं अधिसूचना क्रमांक 5 भोपाल दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्विष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा
1	2	3	4	5
1	हरदा	सिराली	सिराली,	सिराली
			मुहाड़िया,	मुहाड़िया, बंदी,
			रामपुरा	रामपुरा, विक्रमपुरकला

संजय गुप्ता, कलेक्टर.